

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए जाति प्रमाण पत्र का प्रारूप

अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति में से किसी एक का दावा करने वाले उम्मीदवार को अपने दावे के समर्थन में, जिला मजिस्ट्रेट या अनुभागीय अधिकारी या नीचे दर्शित उस जिले के अन्य कोई अधिकारी, जहाँ उनके/उनकी माता-पिता (या जीवित अभिभावक) सामान्य रूप से निवास करते हों तथा जिन्हें इस तरह के प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सक्षम मानकर संबंधित राज्य सरकार द्वारा नामित किया गया हो, उनसे नीचे दिए गए प्रारूप में जारी किये गये प्रमाण पत्र की स्व प्रामाणित प्रति जमा करना होगा। यदि माता-पिता दोनों की मृत्यु हो चुकी हो तो प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी को उस जिले का होना चाहिए जहाँ पर उम्मीदवार स्वयं निवास करते हों या फिर उनके/उनकी स्वयं की शिक्षा के प्रयोजन के लिए निवास करते हों। जहाँ जहाँ फोटोग्राफ प्रमाण पत्र का स्वीकृत हिस्सा है, आरआरसी ऐसे प्रमाण पत्रों की स्व प्रामाणित फोटोकॉपियां ही स्वीकार करेगी तथा कोई अन्य प्रामाणित या सत्य प्रतिलिपि को नहीं।

(भारत सरकार के अंतर्गत पदों की नियुक्ति के लिए आवेदन कर रहे

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों द्वारा जमा किए जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रारूप)

प्रामाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी*

पुत्र/पुत्री* श्री..... गांव/शहर*

जिला/मंडल* राज्य/संघ शासित क्षेत्र* के जाति/जनजाति*..... के

हैं जो निम्नलिखित के अधीन अ.जा./ अ.ज.जा* के रूप में मान्यता प्राप्त है :-

संविधान (अ.जा.) आदेश, 1950*, संविधान (अ.ज.जा.) आदेश, 1950*,

संविधान (अ.जा.) (संघ शासित क्षेत्र) आदेश, 1951*

संविधान (अ.ज.जा.) (संघ शासित क्षेत्र) आदेश 1951*

(अ.जा. और अ.ज.जा. सूची) (परिशोधन), आदेश, 1956, बॉम्बे रिऑर्गनाइजेशन अधिनियम 1960, पंजाब रिऑर्गनाइजेशन अधिनियम 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1970, एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र (रिऑर्गनाइजेशन) अधिनियम 1971 एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम 1976 द्वारा संशोधित अनुसार)

संविधान (जम्मू और कश्मीर) अ.जा. आदेश 1956@,

संविधान (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) अ.ज.जा आदेश 1959@ यथा संशोधित अ.ज.जा एवं अ.ज.जा आदेश (संशोधन) अधिनियम 1976@, द्वारा संशोधित अनुसार,

संविधान (दादर और नगर हवेली) अ.जा. आदेश 1962, संविधान (दादर और नगर हवेली) अ.ज.जा. आदेश 1962@,

संविधान (पांडिचेरी) अ.जा. आदेश 1964@,

संविधान अ.ज.जा. (उत्तर प्रदेश) आदेश 1967@,

संविधान (गोवा, दमन और दीव) अ.जा. आदेश 1968@,

संविधान (गोवा, दमन और दीव) अ.ज.जा. आदेश 1968@,

संविधान (नागालैण्ड) अ.ज.जा. आदेश 1970@,

संविधान (सिक्किम) अ.जा. आदेश 1978@,

संविधान (सिक्किम) अ.ज.जा. आदेश 1978@

श्री/श्रीमती/कुमारी* और/या उनका परिवार' ग्राम/कस्बा*

जिला/संभाग* राज्य/संघ राज्य क्षेत्र* में निवास करता है।

हस्ताक्षर

**पदनाम

(कार्यालय की मुहर सहित)राज्य/संघ राज्य क्षेत्र*

दिनांक :

स्थान :

*कृपया उन शब्दों को काट दें जो लागू न हों।

@कृपया विनिर्दिष्ट प्रेसिडेन्सियल आदेश का उल्लेख करें।

टिप्पणी :- यहाँ प्रयुक्त शब्द "सामान्यतः रहते हैं" का वही अर्थ होगा जैसा कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 धारा 20 में है।

**जाति जनजाति प्रमाण पत्रों को जारी करने के लिए प्राधिकृत अधिकारियों की सूची: **जिला मजिस्ट्रेट/एडिशनल जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/अतिरिक्त उप आयुक्त/उप कलेक्टर/प्रथम श्रेणी स्टाइपेंडरी मजिस्ट्रेट/सिटी मजिस्ट्रेट/उपमंडलीय मजिस्ट्रेट/ तालुका मजिस्ट्रेट/कार्यकारी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक कमिश्नर (प्रथम श्रेणी स्टाइपेंडरी मजिस्ट्रेट के पद से कम न हो), चीफ प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/एडिशनल चीफ प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट, राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार के पद से कम न हो, उस क्षेत्र का उप मंडलीय अधिकारी जहाँ उम्मीदवार व उसका परिवार सामान्यतया निवास करता है।

नोट : तमिलनाडु राज्य के अ.ज.जा. उम्मीदवारों को जाति प्रमाण पत्र केवल राजस्व मंडलीय अधिकारी से ही जमा करना चाहिए।